

133/2007

आफ़ा विस्तृत रूप से

प्राप्त की गई है। नीचे उक्त  
विवरण में उक्त पक्षों के  
बीच प्रमाण पत्रों का मा. प्रमाण  
उपलब्ध करने पर उक्त पक्षों को जोड़ने  
के लिए 03/09/2020 को  
नामा के प्रमाण पत्र 16/2020 उक्त  
कोर्ट के माध्यम से प्रमाण पत्र  
प्रमाण पत्र के माध्यम से जोड़ने  
प्राप्त की गई है। उक्त पक्षों के  
बीच प्रमाण पत्रों के माध्यम से

उपखण्ड अधिकारी  
जबपुर जिला (सा.प्रा.नेर)

न्यायालय 908 II नगरपालिका

1. पक्षकार का नाम डे.के.ए.
2. पिता का नाम ए.पी.ए. उ.प्र. उ.प्र. उ.प्र.
3. स्थाई पता उक्त नगरपालिका पत्र कार्यालय न.प्र.  
नगरपालिका
4. मोबाईल नम्बर
5. ई-मेल आई.डी. अ.प्र. उ.प्र.
6. पक्षकार के अधिवक्ता का नाम ए.पी. उ.प्र. उ.प्र. उ.प्र.
7. पक्षकार के अधिवक्ता का मोबाईल नम्बर 9514279691

सत्यापन

में डे.के.ए. अ

में उक्त विवरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर न्य